प्रेस विज्ञप्ति

20/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 17.01.2025 को गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, (हरियाणा), मोहाली (पंजाब) और मुंबई (महाराष्ट्र) में ग्यारह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें मेसर्स व्यूनो इंफ्राटेक लिमिटेड, मेसर्स बिग बॉय टॉयज, मेसर्स मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बाइटकैनवस एलएलपी, मेसर्स स्काईवर्स, मेसर्स स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसर शामिल थे। मेसर्स व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न लग्जरी वाहन, 3 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्स वीएमएसएल) ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (एसएलबी मॉडल) की आड़ में अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जबकि इसके लिए उनके पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था। आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध के आगमों (पीओसी) को मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा विभिन्न लग्जरी वाहनों की खरीद, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड को रूट करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से अन्य कार्यों में लगाया गया।

इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.11.2024 को मेसर्स व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।

आगे की जांच जारी है।




HR26FA0079


HP 97A 0079


PB 91 G 0079


PB10JH0079


PB 10HV 0079


PB10H
W0079